इस योजना में बाकी है कसर

टिकाऊ और समावेशी विकास की सारी बातचीत के बावजूद 12वीं पंचवर्षीय योजना में कई महत्वपूर्ण मसलों की अनदेखी की गई है।

एन के सिंह
राज्यसभा सदस्य व
पूर्व केंद्रीय सचिव

हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद की 56वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। इस दस्तावेज में तेज, टिकाऊ और ज्यादा समावेशी विकास की बात की गई है। परिषद एक व्यवस्थित संस्था है। मुझे उन कई मौकों की याद है, जिनमें पंचवर्षीय योजना के मसौदे अस्वीकार कर दिए गए। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों का रवैया राजनीतिक होता है, उनकी दिलचस्पी अपने राज्य की उपलब्धियों को गिनाने में ही होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर वे कभी प्रस्तावों की विश्लेषणात्मक या वैचारिक खामियों पर कुछ नहीं कहते। इस बार वहां कुछ तल्ख टिप्पणियां हुईं। 12वीं योजना का 'अप्रोच पेपर' तकनीकी विश्लेषण और योजना के विभिन्न हिस्सेदारों के साथ मशविरे का नतीजा है। क्षेत्रीय स्तर की बातचीत रणनीति बनाने में सहायक होती है, लेकिन उनके ज्यादातर सुझावों को अंतिम मसौदे में जगह नहीं मिली। इसी तरह, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग और केंद्र-राज्य संबंधों पर बने एमएम पंछी आयोग की सिफारिशों की झलक भी इसमें नहीं मिली। लेकिन सारी चिंता समष्टिगत आर्थिक आंकड़ों को पेश करने की थी, जो विश्वसनीय नहीं हैं। बाहर से आने वाले धन में कमी, निवेशकों के पस्त हौसले, खाद्य सुरक्षा के कारण सब्सिडी के बढ़ने की आशंका और बढ़ती महंगाई सरीखी चीजों का दबाव अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है। योजना में महंगाई यानी मुद्रास्फीति की जिस दर की कल्पना की गई है, असल महंगाई उससे कहीं ज्यादा रहने की आशंका है। कर, गैर-कर, गैर ऋण और पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व की जो उम्मीद रखी गई है, उसकी भी एक पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। निजी निवेश विश्वास से आता है, और विश्वास हिला हुआ है। इस खतरे के साथ ही कर्ज के महंगे होने का मसला भी जुड़ा है। इनका उन नतीजों पर असर पड़ सकता है, जो निजी निवेश को लेकर सोचे गए हैं।

अवधेश

बेशक, अप्रोच पेपर को सुव्यवस्थित दस्तावेज बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें प्रशासन के बदलते माहौल से संबंधित कई मुद्दों को छूने की कोशिश भी हुई है। लेकिन यह मसौदा कई मूल मुद्दों का जवाब देने में नाकाम रहा है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इन मसलों को उठाया भी। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी कई चिंताओं का रखा।

पहली चिंता उस प्रवृत्ति को लेकर है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा संसाधन केंद्रीय क्षेत्र के हवाले कर दिए जाते हैं, यह तरीका हमारी संघीय स्वायत्तता को कम करता है। जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय योजना को 77.2 फीसदी बजटीय समर्थन मिला, जबकि राज्यों की योजना को महज 22.8 फीसदी समर्थन ही मिल सका। जबकि 12वीं योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 75.99 से 76.53 फीसदी तक होगी, जबकि राज्यों के हिस्से में 24.01 से 23.47 फीसदी ही आएगा। यह न सिर्फ विभिन्न वित्तीय आयोगों की इस सिफारिश के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को ज्यादा संसाधन सौंपे जाने चाहिए। इसलिए मौजूदा रवैया हमारी संघीय प्रणाली के भी उलट है। केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं तार्किक रूप से भी गलत हैं।

दूसरे, कारकों के बाजार में सुधार के लिए संपूर्णतावादी सोच की जरूरत है। मसलन, औद्योगिक विस्तार, इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के लिए अब श्रम सुधार जरूरी हैं। भारत के सामने इस समय सबसे मूलभूत चुनौती यह है कि भूमि जैसे सीमित संसाधन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए कि इसका पर्यावरण वगैरह पर उल्टा असर न पड़े। इसी तरह, हम आबादी के आकार का फायदा इस तरह से उठाएं कि विस्थापन से सबको लाभ मिले। भारत को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था चाहिए, साथ ही श्रम के लिए बेहतर माहौल भी। रोजगार के स्थायी अवसरों का निर्माण और कुशलता वाले रोजगार के अवसरों का निर्माण 12वीं योजना का केंद्रीय कथ्य होना चाहिए था।

तीसरा मसला गरीबी और खाद्य सुरक्षा का है। निस्संदेह, किसी भी रणनीति का मुख्य मकसद होना चाहिए गरीबी का उन्मूलन। गरीबी का अर्थ सिर्फ भूख नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और पेयजल भी शमिल है। गरीबी को परिभाषित करने के लिए राज्यवार स्वतंत्र आकलन की जरूरत होगी। इस नजरिये से 12वीं योजना नाकाम रही है, हमने गरीबी और खाद्य सुरक्षा के मसले पर उठ रही आशंकाओं को समाधान देने का एक अवसर खो दिया है।

चौथा मसला सामाजिक और क्षेत्रीय न्याय का है। दस्तावेज में एक अध्याय कुछ क्षेत्रों और जिलों की खास आवश्यक स्थितियों पर भी है। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या को सतही ढंग से देखा गया है। क्षेत्रीय असंतुलन का मसला भूगोल से आगे जाना चाहिए। इन क्षेत्रों के लिए मदद का फॉर्मूला भी बदलना होगा। इसमें प्रति व्यक्ति आमदनी, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा के इस्तेमाल, सड़कों का घनत्व, रेलवे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की उपलब्धता, जनसंख्या का घनत्व, कृषि उत्पादकता और उसकी संभावना जैसे कारक भी शामिल होने चाहिए।

पांचवा, पानी, खनिज, कोयला, तेल, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने की क्षेत्रवार रणनीति बननी चाहिए। ये संसाधन पूरे देश के हैं, इसलिए इनका बंटवारा तार्किक ढंग से होना चाहिए। यह इस तरह से होना चाहिए कि राज्यों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा हो सके और आबादी के बड़े तबके को इसका फायदा मिल सके। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, यह भी दस्तावेज में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

छठा, हर कोई जानता है कि विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, ये सारे विषय राज्यों के मातहत हैं। इसलिए वितरण का बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो नतीजों पर आधारित हो, न कि अधिकारिता पर। इस वितरण में में न्याय और क्षमता में संतुलन बिठाना जरूरी है।

इन मसलों का 12वीं पंचवर्षीय योजना में खयाल नहीं रखा गया है। विकास और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों से हमारी जो उम्मीदें हैं, वे इस दस्तावेज की नीतियों पर निर्भर करेंगी। गरीबी जैसे मसले पर अभी हम सर्वसम्मति भी नहीं बना सके हैं। ऐसे मौके पर गठजोड़ की राजनीति भी बाधा बनती है। कुछ राज्य कड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं। केंद्र के लिए कदम बढ़ाने का यह सही समय है।